संख्या- 18 /2015 / 776 /62-1-2015/830/98

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्लायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ / दिनांक 30 जून, **2015**

विषय- प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई 2015 तक ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियोजित विकास, संरक्षण एवं उसके विवेकयुक्त उपयोग तथा विनियमित दोहन के संबंध में राज्य सरकार अति गम्भीर है और इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मा0 ''मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान'' की शुरूआत प्रदेश भर में की गयी है, जिसका मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के कार्य को अपेक्षित गति प्रदान करना है।

2- भूजल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य ''भूजल सप्ताह'' के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-732/62-1-2015/830/98, दिनांक 05 जून, 2012 में सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता के उददेश्य से प्रत्येक वर्ष उक्त अवधि में ''भूजल सप्ताह'' को वृहद स्तर पर मनाये जाने हेतु राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं विकासखण्ड स्तर तक विविध जन-जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें सभी विभागों के सहयोग एवं सहभागिता के साथ-साथ विशेष रूप से स्थानीय स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थानों आदि की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक आयोजन में मण्लायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है।

3- उपरोक्त के क्रम में गत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर तक दिनांक 16 से 22 जुलाई 2015 के मध्य ''भूजल सप्ताह'' वृहद स्तर पर मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त के संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि शासनादेश दिनांक 05 जून, 2012 के प्रस्तर-4 व 5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयारियॉ तत्काल आरम्भ कर दी जाय तथा प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाय। इस वर्ष का मुख्य विचार बिन्दु ''भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग एवं जन सहभागिता-समय की मांग'' (judicious use of Ground Water and People's Participation-Need of the Hour) रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

4- उक्त के परिपेक्ष्य में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया जायेगा, जिसके सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु संबंधित समस्त विभाग अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

5- इस आयोजन की व्यापक सफलता के लिये गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अर्द्धशासकीय संगठनों का भी यथा सम्भव सहयोग लिया जाय।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 18 /2015 / 776 /62-1-2015/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सटाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

3- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- निदेशक ,भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।